उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-196/2015/1002-ए/22-4-15-22/99

लखनऊ : दिनांक- 23 अक्टूबर, 2015

शुद्धि- पत्र

जिला कारागार, कानपुर देहात, सिद्वार्थनरगर, कौशाम्बी एवं गौतमबुद्वनगर के लिए वाहनों के क्रय की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-193/2015/1002/22-4-15-22/99, दिनांक 14.10.2015 में उल्लिखित लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-मोटर गाडियों का क्रय" के स्थान पर लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14- कारागारों के लिए उपकरणों, संयन्त्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-14 मोटर गाडियों का क्रय" पढ़ा जाय।

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

संख्या-196/2015/1002-ए(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in